

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2017-18/2018/


दिनांक :

**आदेश**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ याचिका संख्या 13948/2015 द्वारा के. एम.आर.आई. नर्सिंग स्कूल बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक : 18.12.2017 की पालना में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प. 24 (39) चिस्वा./गुप-3/2010 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में उक्त संस्थान को याचिका में अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन सत्र 2017-18 में जीएनएम प्रशिक्षण हेतु प्रोविजनल छात्र आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संस्थान का नाम विभाग द्वारा जारी निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची में निम्नानुसार जोड़ा जाता है। उक्त संस्थान में छात्रों का प्रवेश माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा :-


| क्र.स. | उसी सूची की क्रम संख्या | संस्थान का नाम  | जिला    | कुल सीटे | 50 प्रतिशत राजकीय कोटे से | 50 प्रतिशत फैंडरेशन कोटे से |
|--------|-------------------------|---|---------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1.     | 152.                    | के.एम.आर.आई. नर्सिंग स्कूल, कोठारी हॉस्पिटल मार्ग, बंगला नगर, बीकानेर | बीकानेर | 50       | 25                        | 25                          |

शेष शर्तें एवं मापदण्ड यथावत रहेंगे।

  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक : 24/01/18

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2017-18/2018/ 964  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (गुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फैंडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राइवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैंडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल्स, राजस्थान।
- ✓ 6. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर